

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230934 CG-DL-E-03112021-230934

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2 PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943 No. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2021

सं. ईपी/11/2021-ईपी.—राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 के पैरा 4.1.3 और 4.9.6 के अंतर्गत दिशा-निदेशों तथा नए सिरे से अथवा कौशल विश्वविद्यालय प्रणाली के भाग के रूप में, उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने के संबंध में दिनांक 31 मई 2021 की अधिसूचना के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और मुम्बई लोक ट्रस्ट अधिनियम -1950, के तहत पंजीकरण संख्या एफ/934/अहमदाबाद के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद को देश में कौशलीकरण इकोसिस्टम के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता आरंभ में अधिसूचना जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाएगी:

- (i) ईडीआईआई को सीओई दिशानिर्देशों में वांछनीय परिणामों के संबंध में सूचीबद्ध सभी मानकों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए;
- (ii) ईडीआईआई अपने क्रियाकलापों का विवरण देते हुए एमएसडीई को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (iii) ईडीआईआई निगरानी के लिए एमएसडीई द्वारा आवधिक साइट दौरे की सुविधा प्रदान करेगा; तथा
- (iv) ईडीआईआई कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को आपसी सुविधा के अनुसार अनौपचारिक और औपचारिक दोनों आधारों पर इनपुट के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रों में नीतियां बनाने में सहायता करेगा।

शान्तन् मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

6381 GI/2021 (1)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

No. EP/11/2021-EP.—In pursuance of the directives under para 4.1.3 and 4.9.6 of the National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015 and the guidelines framed there under vide Notification dated 31st May 2021 regarding setting up Centre of Excellence either as de-novo or as part of Skill University system, the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), Ahmadabad, registered under Society Registration Act, 1860 and Bombay Public Trust Act-1950, Registration No. F/934/Ahmedabad, has been recognized as a **Centre of Excellence (CoE)** in the field of Skilling Ecosystem in the country. This recognition shall initially be for a period of five years from the date of issue of this Notification, subject to the following conditions:

- (i) EDII should try to achieve all the parameters as enlisted in respect of Desirable Outcomes in the CoE guidelines;
- (ii) EDII will submit its Annual Report to MSDE detailing out its activities;
- (iii) EDII would facilitate periodic site visit by MSDE for monitoring; and
- (iv) EDII would assist the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in formulation of policies in the areas of Skill Development and Entrepreneurship with inputs, on both informal and formal basis, as per mutual convenience.

SANTANU MITRA, Senior Economic Adviser